# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारीः– हेमराज गुर्जर RAS

प्रकरण संख्याः–227 / 2023 दायर दिनांकः–19.12.2023

जीसीएमएस नं0 2023 / 557

1. मनीष कुमार गोयल पुत्र श्री रामनिवास उम्र 42 साल जाति महाजन निवासी ढिंढोरा तहसील सूरौठ उपाध्यक्ष ओम विद्या निकेतन समिति ढिंढोरा पंचायत समिति हिण्डौनसिटी जिला करौली राज0
2. योगेन्द्र सिंह पुत्र धर्मसिंह आयु 41 साल जाति जाट निवासी ढिंढोरा तहसील सूरौठ सचिव ओम विद्या निकेतन समिति ढिंढोरा पंचायत समिति हिण्डौनसिटी जिला करौली राज0

-----सायलान–2

**बनाम**

1. अरविन्द्र कुमार पुत्र रविचन्द उर्फ रघुवी उम्र 40 साल
2. हरीश कुमार पुत्र रविचन्द उर्फ रघुवीर उम्र 37 साल
3. कल्पना पुत्र रविचन्द उर्फ रघुवीर उम्र 35 साल
4. मु0 मोहनी बेवा रविचन्द उर्फ रघुवी उम्र 63 साल

जाति – जॉगिड
निवासी – ढिंढोरा
तहसील – सूरौठ
जिला – करौली (राज0)

------गैरसायलान–4

**प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा** निर्णय दि० :- 24-12-24

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 4342 / 2427 रकवा 13 ऐयर वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ जिला करौली में स्थित है जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में सायलान के नाम दर्ज है। उक्त आराजी को सायलान ने संस्था के लिये खरीदी थी। सायलान ने दिनांक 18.09.2008 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि को खरीदा है। तभी से सायलान का कब्जा चला आ रहा है। वर्तमान में इस भूमि में संस्था चल रही है। जिसका सायलान संचालन कर रहे हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:07 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायलान या अन्य किसी व्यक्ति का उक्त खसरा नं0 की भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध या वास्ता किसी प्रकार का नहीं है। गैरसायलान की नियत में बदयान्ति आ चुकी है। व संस्था की भूमि में अवैध कब्जा कर निर्माण करवाना चाहते हैं, और रोजाना आकर परेशान करते हैं। गैरसायलान अवैध रूप से कब्जा कर

निर्माण करवाना चाहते हैं। और रोजना आकर परेशान करते हैं। गैरसायलान अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण करवाने की फिराक में हैं।

गैरसायलान दिनांक 26.10.2023 को सुबह 9–10 बजे एक राय होकर संस्था पर आ गये, और जबरदस्ती संस्था की भूमि को दबाकर निर्माण कार्य करवाने लगे। सालान ने गैरसायलान से मना किया तो झगडा करने पर आमादा हुये। गैरसायलान ने सायलान को ऐलानिया धमकी दी है कि हम इस संस्था को नष्ट करके रहेंगे और तोड–फोडकर जबरदस्ती कब्जा कर निर्माण करवाकर रहेंगे अगर हमसे मना किया तो जान से मार देंगे। एवम् झूठे मुकदमें में फंसा देंगे। गैरसायलान ने इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिये एक नाजायज गिरोह बना रखा है। गैरसायलान अगर अपने उद्देश्य में सफल हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति पैदा होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकेगी। गैरसायलान सायलान के समझाने पर अज खुद मानने को तैयार नहीं है। इस कारण उनके विरूद्ध दावा व संबंधित प्रार्थना पत्र टी0 आई पेश करना आवश्यक है। अगर गैरसायलान अपने उक्त गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति पैदा होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्मस ऑफ मनी होना संभव नहीं हो सकेगी जबकि गैरसायलान को पाबंद फरमाये जाने से उन्हे कोई क्षति किसी भी प्रकार की नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा त फैसला मुकदमा पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायलान भूमि खसरा नं0 4342/2427 रकवा 13 ऐयर स्थित ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ में सायलान को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे। तथा भूमि के किसी भाग पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य नहीं करावे। तथा सायलान को शांति पूर्वक तरीके से भूमि का उपयोग उपभेग करने देवें। तथा किसी प्रकार की अडचन पैदा नहीं करें। तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे सायलान के हकूकों पर प्रतिकूल प्रभाव पडे। मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें। ऐसा कोई कार्य किसी अन्य से भी नहीं करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान की ओर से श्री राधेश्याम शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया एवं जबाव पेश किया जो निम्नानुसार हैः–

1. प्रार्थना पत्र का मद न0 1 जिस प्रकार तहरीर है, गलत है, अस्वीकार है।

2. प्रार्थना पत्र का मद न0 2 जिस प्रकार तहरीर है, गलत है, अस्वीकार है।

3. प्रार्थना पत्र का मद न0 1 जिस प्रकार तहरीर है, गलत है, अस्वीकार है। सायलान ने दिनांक 18.09.2018 को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र की भूमि खरीदना बताते है, उस पर सायलान का सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा न होकर गैरसायलान के आवसीय मकानात को छोडकर कब्जा है तथा उक्त भूमि को गैरसायलान ने अपने आवसीय मकान की भूमि को छोडकर ही सायलान को विक्रय की थी लेकिन सायलान ने गैरसायलान को मुगालते में देकर सम्पूर्ण भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली गैरसायलान का उक्त भूमि में जो अपना आवसीय मकान बना हुआ है, उस पर आजी भी गैरसायलान का कब्जा है।

4. प्रार्थना पत्र का मद न0 1 जिस प्रकार तहरीर है, गलत है, अस्वीकार है। उक्त भूमि पर गैरसायलान के मकानात बने हुए है तथा उस पर भी आज भी निवास कर रहे है। गैरसायलान के आवसीय मकानात की भूमि से सायलान का कोई संबंध व वास्ता किसी प्रकार नहीं है।

5. प्रार्थना पत्र का मद न0 5 जिस प्रकार तहरीर है, गलत है, अस्वीकार है। दिनांक 26.10.2023 को सुबह 9–10 बजे एकराय होकर गैरसायलान सायलान की संस्था पर नही गये तथा जबरदस्ती संस्था की भूमि को दबाकर कोई निर्माण कार्य नही करने लगे और नाही गैरसायलान ने सायलान को कोई धमकी दी कि इस संस्था की तोड–फोड करेगें तथा जबरदस्ती निर्माण करके और ना ही झुठे मुकदमे में फसाने की धमकी दी।

6. प्रार्थना पत्र का मद न0 6 जिस प्रकार तहरीर है, गलत है, अस्वीकार है।

7. प्रार्थना पत्र का मद न0 2 जिस प्रकार तहरीर है, गलत है, अस्वीकार है।

शामिल पत्रावली किया गया।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 65 वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित [illegible] पक्ष वकील की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:07 IST
Reason: SelfAttested

वकील सायलान ने प्रार्थना [illegible] है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन [illegible] एवं गैरसायलान वकील द्वारा अपने बहस कथन में प्रकरण में प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुऐ, सायलान के प्रार्थना पत्र को मय खर्चा खारिज फरमाने का निवेदन किया।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 65 वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ में भूमि ओम विद्यालय निकेतन समिति ढिंढोरा पंचायत समिति हिण्डौन जिला करौली द्वारा सायलान न0 2 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि सायलान द्वारा उक्त खसरा नम्बर पर वाद पत्र के तथ्यो के संबध में वाद में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक बहस में साबित करने में असफल रहा है। प्रकरण में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है । खसरा न0 4342/2427 वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ में रिकॉर्ड एंव मौके की यथास्थिति के संबंध में दिनांक 19.12.2023 को जारी अंतरिम स्थगन आदेश खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 24-12-24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 24/12/24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:07 IST
Reason: SelfAttested